Pro-Active and Responsive Facilitation by Interactive,

and Virtuous Environmental Single-Window Hub





Government of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change (Issued by the State Environment Impact Assessment Authority(SEIAA), Madhya Pradesh)

To,

The Authorized Person POWER MECH PROJECTS LIMITED Flat No. 248, Sector 2, Shakti Nagar, Habibganj, Bhopal -462024

Subject: Grant of Environmental Clearance (EC) to the proposed Project Activity under the provision of EIA Notification 2006-regarding

Sir/Madam,

This is in reference to your application for Environmental Clearance (EC) in respect of project submitted to the SEIAA vide proposal number SIA/MP/MIN/62072/2021 dated 20 May 2022. The particulars of the environmental clearance granted to the project are as below.

1. EC Identification No. EC22B001MP110927 2. File No. 8419/2021 3. **Project Type** New 4. Category 5. Project/Activity including 1(a) Mining of minerals

Schedule No. Baghwada 2 Sand Mine 6. Name of Project

7. Name of Company/Organization POWER MECH PROJECTS LIMITED

8. **Location of Project** Madhya Pradesh 24 May 2021 9. **TOR Date**

The project details along with terms and conditions are appended herewith from page no 2 onwards.

(e-signed) Shriman Shukla Date: 15/06/2022 **Member Secretary** SEIAA - (Madhya Pradesh)

Note: A valid environmental clearance shall be one that has EC identification number & E-Sign generated from PARIVESH.Please quote identification number in all future correspondence.

This is a computer generated cover page.

संदर्भः प्रस्ताव क्र. SIA/MP/MIN/62072/2021 - प्रकरण क्र. 8419/2021 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पॉवर मेक प्रोजेक्ट लि., फ्लैट नं. 248, सेक्टर—2, शक्ति नगर, हबीबगंज, भोपाल (म.प्र.) — 462024 द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 74,822 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC की अनुशंसा अनुसार), रकबा 16.667 हेक्टेयर, खसरा 352/340, ग्राम — बघवाड़ा—2, तहसील बुधनी, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति।

भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 एवं उपरांत के संशोधनों तथा राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा समय—समय पर जारी ज्ञापनों के परिपालन में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र एवं प्रक्रिया अनुरूप परियोजना प्रस्तावक द्वारा आनेंलाईन आवेदन के साथ प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव (क्र.SIA/MP/MIN/62072/2021 एवं MP SEIAA में पंजीयन दिनांक 24.03.2021) एवं संबंधित अनिवार्य दस्तावेज़ों के आधार पर राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) और राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) के द्वारा परीक्षण एवं मूल्यांकन किया गया।

II कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सिहोर के एकल प्रमाण पत्र क्र. 2616 दिनांक 17.03.2021 के अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / इको सेंसोटिव जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं वन क्षेत्र की दूरी 250मी. की परिधि से बाहर स्थित है। आपके द्वारा प्राप्त अनुमोदित खनन योजना के अनुसार अक्षांश 22°45'32.64" से 22°45'45.88" और देशांतर 77°44'1.51" से 77°43'44.28" भौगोलिक निर्देशांक पर स्थित है।

उक्त परियोजना की जनसुनवाई दिनांक 04.09.2021 को खनन क्षेत्र ग्राम – बघवाड़ा, तहसील बुधनी, जिला सीहोर में अपर कलेक्टर, सीहोर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

III. परियोजना पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त पैरा (II) के अनुसार परियोजना प्रस्तावक एवं अधिकृत सलाहकार द्वारा प्रस्तुत की गई अभिप्रमाणित जानकारी तथा दस्तावेजों के आधार पर राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) की 729 वीं बैठक दिनांक 06.06.2022 में विस्तृत विचार विमर्श उपरांत एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 573वी बैठक दिनांक 28.05.2022 में प्रकरण पर की गई अनुंशसा के आधार पर विशिष्ट, साधारण / मानक शर्ते अधिरोपित करते हुये पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने का सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया है।

अतः उपरोक्त निर्णय के परिपालन में उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पॉवर मेक प्रोजेक्ट लि., फ्लैट नं. 248, सेक्टर—2, शक्ति नगर, हबीबगंज, भोपाल (म.प्र.) — 462024 द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 74,822 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC की अनुशंसा अनुसार), रकबा 16.667 हेक्टेयर, खसरा 352/340, ग्राम — बघवाड़ा—2, तहसील बुधनी, जिला सीहोर (म.प्र.) को राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, म.प्र एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित विशिष्ट शर्तो और तदुपरांत मानक शर्तो के अधीन पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(अ) विशिष्ट शर्तेः

1. म.प्र. शासन खानिज साधन विभाग का आदेश क. 3515 दिनांक 28.07.2020 के अनुसार दिनांक 30.06.2023 तक स्वीकृत प्रदान कि गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।



- 2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रस्तावित खदान से नदी के दोनों किनारे (न्यूनतम 25 मीटर एक तरफ) की दूरी तक हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया
- प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेत् सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 78760 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशांसित उत्पादन क्षमता 74822 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 500010 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 74822 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC की अनुशंसा अनुसार) तक ही मान्य रहेगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 06.06.2022 में उल्लेखित प्रतिबद्धता अनुसार परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक उत्खनन मात्रा नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दी गयी मात्रा एवं निविदा (NIT) में उल्लेखित मात्रा से कम है तथा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन पट्टा कुल रकबा 16.667 में से मात्रा 7.876 हेक्टेयर में ही उत्खनन किया जायेगा।
- खनन कार्य 1.0 मीटर गहराई तक (SEAC की अनुशंसा अनुसार) सीमित होगा ।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की 573वी बैठक दिनांक 28.05.2022 में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर म.प्र. ने पत्र कमांक-1636 दिनांक 28/05/22 के माध्यम से प्राप्त संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर अनुशंसित कार्यवाही अनुसार "माइनेवल मिनरल पोटेंशियल" (घनमीटर में) (60 प्रतिशत टोटल मिनरल पोटेंशियल) का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों / दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 20000 वृक्षों का वृक्षारोपण निम्नानुसार स्थलों पर किया जाये :

Ф.	प्रस्तावित वृक्षारोपण	पौघों की प्रजातियां	
1.	नदी तट के किनारें	खास घास, (६इंच x ६इंच) नगरमोथा (३०इंच x ३०इंच), कटंगबास, लसोड़ा, जामुन, करंज, शहतूत आदि ।	5000 1, 300 400 300 2000
2.	बघवाड़ा गांव के समुदयिक भवन बघवाड़ा गांव के स्कूल बघवाड़ा गांव के आंगनवाड़ी में वृक्षारोपण	नीम, करंज, सीताफल, पीपल, कचनार, चिरोल, कदम, सिरसू आदि।	



टीप – लीज अवधि तक पौधों का देख–रेख कम्पनी द्वारा किया जायें तथा उसके बाद पंचायत / वन समिति को पौधों के देख-रेख हेतु आवश्यक वजट के साथ पौधों के देख-रेख का जिम्मा दिया जायें। रोपण के दूसरे वर्ष से मृत पौधों का पुर्नस्थापना किया जायें।

- 10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
 - ग्राम बघवाड़ा के शासकीय लोक स्वास्थ्य केन्द्र में 02 डिजीटल HP मीटर, 02 एयरपोर्ट विजन बेन्च, 02 फोगर मशीन मय कैमिकल, 02 हीमोगिलोबिन डिजीटल मीटर, 02 हाईट व वैट डिजीटल मशीन जिला स्वास्थ्य अधिकारी से परामर्श कर वितरित की जाये।
 - ग्राम बघवाड़ा के शासकीय लोक स्वास्थ्य केन्द्र में 02 शौचालय का निर्माण कराया
 - ग्राम बघवाड़ा के आंगनबाडी केन्द्र में बच्चों के लिये खिलोने, भोजन पकाने के बर्तन आदि उपलब्ध कराये जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियाँ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

- 11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
- 12. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त / सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
- 13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
- 14. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अनुसार ही खनन पट्टा क्षेत्र में वार्षिक रेंत पुर्नभरण की पूर्ति निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।
- 15. परियोजना प्रस्तावक नदी के बेसिन के भीतर किसी भी प्रकार का रैंप स्थापित नहीं करेगा तथा जिस किनारे पर रेत उपलब्ध है उसी किनारे से परिवहन की अनुमति कार्य किया जायेगा।



- 16. परियोजना प्रस्तावक नदी के जल प्रभाव वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं करेगा एवं स्थानीय अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केवल नदी के सूखे हिस्से में जहां रेत की उपलब्धता हो वही तक खनन गतिविधिया सीमित की जाये।
- 17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबद्धधता अनुसार जलभराव क्षेत्र को गैर—खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा
- 18. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।
- 19. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतू ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।
- 20. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 21. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08. 2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- 22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सूनिश्चित किया जायेगा कि यदि धारा सूखी है, तो उत्खनन धारा की सबसे कम अबाधित एलिवेशन से आगे नहीं बढ़ेगा, जो कि स्थानीय हाइड्रोलिक्स, जल विज्ञान और भू-आकृति विज्ञान का एक कार्य है।
- 23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
- 24. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
- 26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
- 27. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेत पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
- 29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
- 30. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।



- 31. खिन पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।
- 32. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेगे।
- 33. रेत खनन् का प्रकरण नर्मदा नदी में होने के कारण सिर्फ मेन्युअल माईनिंग (Only Mannual Mining) की जाये।
- 34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिये बजटीय प्रावधान रू. 48.48 लाख एवं पूंजी रू. 02.07 लाख प्रतिवर्ष प्रस्तावित है।
- 35. जिला प्रशासन द्वारा वार्षिक रूप से मानसून से पहले और सितंबर के अंतिम सप्ताह में खनन पट्टा क्षेत्र में रेत के जमाव (10 एवं > 10.00 हेक्टेयर के पट्टों के लिए 100 मीटर के अंतराल पर तथा <10 हेक्टेयर के पट्टों के लिए 50 मीटर के अंतराल पर) का रिकॉर्ड दर्ज करे एवं आर.एल रिड्यूस लेवल) मेजरमेंट बुक में रिकॉर्ड रखरखाव करे। तदनुसार जिला प्रशासन द्वारा पट्टा धारक को केवल रेत की पुनःपूर्ति की गई मात्रा की खुदाई करने हेतु आगामी वर्ष में अनुमित दी जाये।
- 36. उत्खान क्षेत्र का स्पष्ट सीमांकन स्थल पर अक्षांस एवं देशान्श अनुसार पिलर लगाकर किया जाये एवं सुरक्षा हेतु आवश्यक सूचना व सावधानी संकेत सूचना पटल पर अंकित किये जाये।
- धूल के कणों का दमन करने के लिए सोलर पंपों/पानी के टैंकरों के साथ ओवरहेड स्प्रिंकलर की व्यवस्था पट्टा क्षेत्र से बाहर निकलें तथा निकासी सड़क पर निश्चित प्रकार के स्प्रिंकलर की व्यवस्था की जाये। पीपी द्वारा लॉग बुक राखी जाये जिसमें दैनिक पानी के छिडकाव और वाहनों की आवाजाही का विवरण दर्ज किया जाये।
- 38. केवल पूर्वोक्त उद्देश्य के लिए जिनके पास आवश्यक पंजीकरण और मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनुमित और उसी के लिए बीमा कवरेज है वाले जीपीएस सिहत पंजीकृत वाहन / ट्रैक्टर ट्रॉलियां का उपयोग केवल उक्त प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाएगा
- सामग्री का परिवहन में fugitive उत्सर्जन से बचने के लिए केवल आवश्यक नमी वाले ढके हुए एवं पीयूसी प्रमाणित वाहनों का उपयोग किया जाये। खनिजों का परिवहन वन क्षेत्र से बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के नहीं किया जायेगा
- 40. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज निकासी सड़क को पक्का (डब्ल्यूबीएम/ब्लैक टॉप) बनाया जाएगा।
- 41. प्रमुख पूलों और राजमार्गों के दोनों तरफ से 1 किलोमीटर (1 किमी) की दूरी तक रेत और बजरी नहीं निकाली जाएगी। और अपस्ट्रीम से इस तरह के पुल/सार्वजनिक संरचना (जल ग्रहण क्षेत्र सहित) से पांच गुना दूरी तक एवं डाउन-स्ट्रीम से ऐसे पुल से दस गुना दूरी तक, कम से कम 250 मीटर अपस्ट्रीम साइंड से और 500 मीटर डाउनस्ट्रीम साइंड से रेत और बजरी नहीं निकाली जाएगी।
- 42. खनन की गहराई 3 मीटर या जल स्तर, जो भी कम हो, तक सीमित होनी चाहिए और नदी के किनारे से दूरी एक चौथाई या नदी की चौड़ाई जितनी होनी चाहिए और जो 7.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। नदी के अंदर खनन की अनुमित नहीं है। स्थापित जल वाहक नाला ध्नालियों को स्थानांतरित, सीधा या संशोधित नहीं किया जायेगा।
- 43. खनन कार्य शुरू होने से पहले खनन क्षेत्र को पिलर से सीमांकन और भू-संदर्भित किया जाये ।



- 44. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कम से कम वर्ष में एक बार प्रतिष्ठित तृतीय पक्ष के माध्यम से पर्यावरणीय ऑडिट कराई जाये और उस ऑडिट की रिपोर्ट को सार्वजनिक डोमेन पर रखी जाये ।
- 45. मानसून के मौसम में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
- 46. खनन कार्य पूरी तरह से अनुमोदित खनन योजना एवं सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 के अनुसार किया जाएगा तथा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी रेत खनन के लिए प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा की खनन योजना में निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए खनन पट्टा क्षेत्र में रेत की वार्षिक पुनःपूर्ति खनन पट्टा क्षेत्र में रेत खनन कार्यों हेतु पर्याप्त है।

47. अगर नदी की धारा सूखी है तो उत्खनन धारा के तल की सबसे निचले कम की अबाधित गहराई से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, जो स्थानीय हाइड्रोलिक्स, जल विज्ञान और भू-आकृति विज्ञान का एक

48. खनन पूरा होने के बाद, गड्ढे के किनारे को 2.5:1 के अनुपात पर प्रवाह की दिशा में ढलान पर वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

एम.पी.पी.सी.बी से आवश्यक सहमति प्राप्त की जाएगी और एम.पी.पी.सी.बी. की सिफारिश के अनुसार वाय्/जल प्रदूषण नियंत्रण उपायों को स्थापित करना होगा।

50. क्षेत्र के सामाजिक उत्थान के लिए समुचित कार्य किये जायेंगे। इसके लिए आरक्षित निधि का उपयोग ग्राम पंचायतध्सक्षम प्राधिकरण के माध्यम से किया जाएगा।

- 51. श्रमिकों के छह मासिक व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण किए जाएंगे और सभी श्रमिकों को आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाएंगे। सभी खान श्रमिकों और अन्य कर्मचारियों के लिए विश्राम गृह, प्राथमिक चिकित्सा, उचित अग्निशमन उपकरण और शौचालय (पुरुष और महिला के लिए अलग) जैसी अनिवार्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। खदान के स्थल कार्यालय, विश्राम गृहों आदि को सोलर लाइट से रोशन और हवादार किया जाएगा। इन सभी सुविधाओं जैसे विश्राम गृह, साइट कार्यालय आदि को लीज अवधि की समाप्ति के बाद साइट से हटा दिया जाएगा।
- पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नवीनतम कार्यालीन ज्ञापन पत्र संख्या एफ.सं. 22-34/2018-आईए। III, दिनांक 16/01/2020 के अनुसार, पर्यावरण प्रबंधन योजना और कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व में अलग से बजट का प्रावधान चराई भूमि के विकास और रखरखाव के लिए बबनय जाये और ये जानकारी वार्षिक पर्यावरण विवरण में दी जाये ।
- 53. यदि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपायों के लिए आवंटित पर्यावरण प्रबंधन योजना बजट का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाता है, तो पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिए बजटीय प्रावधानों के कम उपयोग के कारण को वार्षिक रिटर्न (विवरणी) में सम्मिलित किया जाये ।
- 54. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एसईएसी और एसईआईएए में प्रस्तुत दस्तावेदजो में विसंगति (यदि कोई) पाए जाने पर परियोजना प्रस्तावक स्वयं जिम्मेदार होगा।
- खनन पट्टा क्षेत्र में गड्ढे एवं भूमि के पुनरुद्धार की राशि का कार्य खनन विभाग के माध्यम से किया जाये। खनन विभाग द्वारा गतिविधिं के लिए अनुमानित उचित राशि को खान में खनिज की समाप्ति होने के उपरांत समस्त गतिविधि का जिम्मा कलेक्टर के पास जमा करना होगा।

56. खनन कार्य हेतु पानी की आवश्यकता के लिए ग्राम पंचायत तथा किसी भी पेड़ की कटाई से पूर्व वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये ।

- 57. ऐसे पट्टे जो वन क्षेत्र के 250मी. की परिधि के अंदर आ रहे है एवं परियोजना प्रस्तावक ने संभाग स्तरीय आयुक्त समिति से अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, तो समिति द्वारा निर्धारित सभी शर्तो पालन सुनिश्चित किया जाये।
- 58. परियोजना में विस्तार या आधुनिकीकरण, प्रक्रिया और उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ प्रोद्यौगिकी में परिवर्तन, और प्रस्तावित खनन ईकाई में उत्पाद मिश्रण एवं किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिये नवीन पर्यावरण स्वीकति लेना अनिवार्य होगा।



- 59. अस्थायी अनुज्ञा (TP) के प्रकरण में, पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता केवल टीपी की वैधता तक रहेगी एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान समापन योजना का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- 60. खनन पट्टाधारक खनन कार्य को बंद करने के बाद, चरागाह के विकास एवं रख —रखाव हेतु एम. ओ.ई.एफ.एंड.सी.सी के पत्र एफ. सं. 22&34/2018—आई.ए, III दिनांक 16/01/2020 अनुसार ई. एम.पी और सी.ई.आर अंतर्गत एक अलग बजट सुरक्षित करें।
- 61. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या Z&11013/57/2014&IA II (एम) दिनांक 29 अक्टूबर 2014 शीर्षक "आवासों पर खनन गतिविधियों का प्रभाव, खनन परियोजनाओं से संबंधित मुद्दे जिसमें बस्तियाँ और गाँव खदान पट्टा क्षेत्रों का हिस्सा हैं या बस्तियाँ और गाँव खदान पट्टा क्षेत्र से घिरे हुए हैं" में दिए गए मेटिगीटिव उपायों का पालन करगा।
- 62. पत्राचार के पते में कोई भी परिवर्तन, के लिये 30 दिनों के अंदर सभी नियामक प्राधिकरण को सूचित करेगा।
- 63. खदान में प्रवेश के समय परियोजना के संबंध में एक डिस्प्ले बोर्ड निम्नलिखित विवरण के साथ लगाना अनिवार्य होगा :
 - खदान के मालिक का नाम ,संपर्क विवरण आदि।
 - परियोजना का खनन पट्टा क्षेत्र (हेक्टेयर में)
 - परियोजना की उत्पादन क्षमता ।
- 64. NGT (CZ) के आदेश क. 66/20 दिनांक 19/10/2020 एवं एस.ई.आई.ए.ए का निर्देश पत्र संख्या 5084 दिनांक 09/12/2020 के अनुसार रेत खनन के मामले में पीपी द्वारा निम्नलिखित शर्तों को लागू किया जाना चाहिए :
 - i. लीजधारक को परियोजना स्थल पर न्यूनतम संख्या में (02) पोक्लेन्स का उपयोग कर सकता है 02 से जादा पोक्लेन्स के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।
 - ii. जिला प्रशासन द्वारा पहले वर्ष के अंत में पर्यावरणीय प्रभाव के लिए साइट का आकलन करने के उपरांत ही निरंतर खनन कार्य जारी रखने की अनुमति प्रदान की जाये।
 - iii. कार्य की अंतिम गहराई वर्तमान प्राकृतिक नदी तल से 01 मीटर और उपलब्ध रेत की मोटाई प्रस्तावित खदान स्थल से 03 मीटर होगी।
 - iv. रेत उत्खनन किसी भी परिस्थिति में भूजल स्तर को प्रभावित नहीं किया जाए। यदि भूजल स्तर 01 मीटर पर अनुमत गहराई के भीतर होता है, तो उत्खनन कार्य तुरंत रोक दिया जाये।
 - v. रेत का खनन के दौरान किसी भी तरह से नदी के पानी की गंदलापन (टरबिडिटी), वेग और प्रवाह को प्रभावित न किया जाए।
 - vi. खनन गतिविधि की निगरानी तालुक स्तर के बल द्वारा महीने में एक बार भौतिक सत्यापन करके की जाएगी
 - vii. खनन बंद होने के बाद, लाइसेंसधारी खदान में लगाए गए सभी शेड और रेत खदान के संचालन के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी उपकरणों को तुरंत हटा दे, जहाँ तक संभव हो, बिना किसी कृत्रिम बाधा के नदी को अपना सामान्य मार्ग फिर से शुरू करने के लिए सड़कों/मार्गों को समतल किया जाये।
 - viii. खनन से किए गए गड्ढों को जहां आवश्यक हो वहां वापस भर दिया जाना चाहिए और पर्यावरणीय क्षरण को रोकने के लिए क्षेत्र उपयुक्त लैंडस्केप होना चाहिए
 - ix. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खदान की सीमा और गहराई के संबंध में मानकों का पालन करे एवं खदान की सीमा का उचित रूप से सीमांकन किया जाए।
- 65. नदी के किनारों पर स्थिरीकरण के लिए खस स्लिप्स और नगर मोथा जैसी प्रजातियों को लगाया जाये एवं किसी भी उपयुक्त सरकार के माध्यम से गांव में खनिज निकासी सड़क और आम क्षेत्र पर मिट्टी के कटाव की जांच के लिए संबंधित डी.एफ.ओ. / ग्राम पंचायत / कृषि विभाग या किसी अन्य उपयक्त एजेंसी से कार्य अनुमति के उपरांत ईएमपी में किए गए बजटीय आवंटन के अनुसार पर्याप्त



- विशेषज्ञता वाली एजेंसी (जैसे वन विकास निगम/वन समिति, वन रेंज अधिकारी की निगरानी और मार्गदर्शन में उक्त कार्य करवाया जाये।
- 66. पट्टा क्षेत्र मे वृक्षारोपण के लिए सतही मिट्टी का उपयोग किया जाए एवं पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई ओ. बी. डंप. (Over burden) न किया जाये। परियोजना प्रस्तावक को खनन कार्यों के शुरुआती तीन वर्षों में वृक्षारोपण गतिविधि पूर्ण करे एवं हताहत / मृत पोधों के प्रतिस्थापन सहित पूरे खनन जीवन के लिए उन्हें बनाए रखा जायें। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वक्षारोपण और करणीय प्रतिस्थापन के वार्षिक विवरण हेत् एक लॉग बुक रखी जाये एवं खनन कार्य के दौरान किसी भी वनस्पतियों , जीवों इत्त्यादि को कोई हानि न हो इस हेतु पर्याप्त सावधानी बरती जाये। पी.पी. द्वारा वन भूमि में संभावित अतिरिक्त वृक्षारोपण डी.एफ.ओ के माध्यम से किया जाये एवं निर्धारित बजट डी.एफ.ओ को हस्तांतरित किया जाये।
- 67. संबंधात ग्राम क्षेत्र की सामुदायिक भूमि अथवा बंजर वन भूमि पर ग्राम पंचायत के माध्यम से स्थानीय मिश्रत प्रजातिया जैसे वार्षिक, बारहमासी घास / चारा , वृक्ष की प्रजातियाँ रोपित की जाये जिससे चरागाह विकसित हो सके एवं खनन कार्य के उपरांत इस विकसित चरागाह को ग्राम पंचायत को सौंप दिया जाए।
- पौधरोपण को बढावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष मानसून के मौसम की शुरुआत से पहले, आस-पास के ग्रामीणों को चारा/देशी फल देने वाली प्रजातियों के पौधे सामाजिक वानिकी नर्सरी/सरकारी बागवानी नर्सरी से प्राप्त कर वितरित किए जाएं। यह गतिविधि म.प्र. सरकार की "अंकूर योजना" के अंतर्गत "वायुद्त ऐप" पर व्यक्तिगत ग्रामीणों को पंजीकृत कर की जाये। पी.पी द्वारा जिन स्थानों पर औषधि वाटिका (मिडकल गार्डेन) पस्तावित है उन स्थानों (स्कूल/आंगनवाड़ी प्रांगण) पर न्यनतम 50 पौधे रोपित किये जाये एवं इस प्रकार विकसित किया जाये कि उनका सरवाइवल 80 प्रतिशत तक हो।
- 69. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण के लिये पानी की उचित व्यवस्था की जाये।
- बी-1 श्रेणी की परियोजनाओं मे प्रस्तावित सी.ई.आर गतिविधियाँ जन सुनवाई के निष्कर्ष पर आधारित होने चाहिए। एवं बी-2 श्रेणी की परियोजनाओं में स्थानीय आवश्यकता मूल्यांकन और ग्राम पंचायत वार्षिक कार्य योजना के आधार पर सी.ई.आर गतिविधि प्रस्तावित किया जाए।
- 71. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेत् निर्देश।
 - नोट 1: स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
 - नोट 2 :- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह
 - नोट 3 :- पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मुदा नमीं को बनाये रखने हेतू जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुडाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
 - नोट 4 :- पौघों की ऊँचाई / गोलाई -
 - नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :- रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

Φ.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन / नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड / स्कूल / ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई—गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षो तक		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

नोट 7:- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -



- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई / जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई—गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

(ब) मानक शर्ते

- 1. परियोजना प्रस्तावक के ई-मेल विवरण के साथ वैध डाक का पता।
- 2. नदी तल पर किसी भी भारी वाहन का जाना प्रतिबंधित रहेगा।
- 3. खनन क्षेत्र से रेत का परिवहन लदान स्थल तक केवल ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से ही किया जायेगा।
- 4. नदी कर्व पर किनारों को उचित बांधों द्वारा स्थिर किया जाये एवं उचित वृक्षारोपण किया जाये इसकी निगरानी कलेक्टर, के द्वारा किया जाये ताकि रेत खनन से उस क्षेत्र की पारिस्थितिकी को प्रभवित न हो सके।
- 5. खनन कार्य स्वीकृत खनन योजना के अनुसार किया जाये, खनन योजना का उल्लंघन किये जाने पर एस.ई.आई.ए.ए द्वारा दी गई पर्यावरण स्वीकृत रद्द कर दी जाएगी।
- 6. यह सुनिश्चित किया जाए कि गौण खनिज के उत्खनन से नदी तल बेसिन, जहां खनन कार्य किया जाता है, की अंतर्निहित मिट्टी की विशेषताओं में किसी प्राकार का बदलाव तो नहीं हो रहा।
- 7. यह सुनिश्चित किया जाये कि खनन कार्य सें नदी के पानी का गंदलापन (टरबिडिटी) ,वेग और प्रवाह पैटर्न को किसी भी तरह बाधित न किया जाये।
- 8. यह सुनिश्चित किया जाये कि नदी के तल पर अथवा खनन क्षेत्रों के निकट कोई जीव-जंतु घोंसले के लिए निर्भर तो नही है।
- 9. विचाराधीन सभी प्रस्तावों के लिए खनन कार्य से पूर्व खनन/राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा स्थल पर सटीक खनन क्षेत्र का संयुक्त रूप से सीमांकन किया जायें।
- 10. सार्वजनिक स्थानों पर वाहनों की पार्किंग नहीं होनी चाहिए।
- 11. आसपास की बस्तियों को खनन गतिविधियों के प्रभाव से बचाने के लिए विशेष उपाय अपनाए जाये। तथा गाँव की जिन सड़कों से गौण खनिजों का परिवहन किया जाना है, का नियमित रूप से रख रखाव/अनुरक्षण किया जाये।
- 12. मुदा अपरदन की रोकथाम एवं नियंत्रण तथा गाद के प्रबंधन के उपाय किये जायें।
- 13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के गड्ढे, कचरे के ढेर के आसपास आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किया जाये।
- 14. वृक्षारोपण कार्यक्रम ई.एम.पी के अनुसार किया जाये एवं वनस्पतियों की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की जानी चाहिए एवं पट्टा क्षेत्र में किसी भी पेड़ की कटाई बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के न किया जाये।
- 15. खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों को एक तिरपाल या अन्य उपयुक्त बाड़ों से ढक दिया जाये ताकि परिवहन के दौरान धूल के कण /बारीक पदार्थ बाहर न निकल सकें।
- 16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान श्रमिकों के लिए आश्रय एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किया जायें ।
- 17. धूल भरे क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षात्मक श्वसन उपकरण उपलब्ध कराए जाये और उनकें सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलुओं पर पर्याप्त प्रशिक्षण और जानकारी भी प्रदान की जाये।
- 18. कार्य स्थल पर प्राथमिक उपचार के लिए औषधालय की सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाये।
- 19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण मंजूरी की एक प्रति सरकार के संबंधित अधिकारियों के अतिरिक्त स्थानीय निकायों, पंचायत और नगर निकायों के प्रमुखों, (जैसा लागू हो) को भी प्रस्तुत की जाये।
- 20. मंत्रालय अथवा कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी पर्यावरण संरक्षण के हित में शर्तों में परिवर्तन/संशोधन कर सकता है या कोई और शर्त निर्धारित कर सकता है।



- 21. तथ्यात्मक डेटा को छुपाने अथवा झूठे /गढ़े हुए डेटा प्रस्तुत करने एवं ऊपर उल्लिखित किसी भी शर्त का पालन न करने पर पर्यावरण मंजूरी को वापस लिया जा सकता है और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत कार्रवाही कि जा सकती है।
- 22. पर्यावरण मंजूरी के खिलाफ किसी भी प्रकार की अपील, करना हो, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 16 के तहत, निर्धारित 30 दिनों की अवधि के अंदर राष्ट्रीय हरित अधिकरण में की जा सकती है।

(श्रीमन् शुक्ला) सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:-

- 1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
- 3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई—5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल 462016।
- 4. कलेक्टर, जिला सिहोर (म.प्र.)
- 5. वन मंडलाधिकारी, जिला सिहोर (म.प्र.)
- 6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 1100031
- 7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016 ।
- 8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, २९-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल ४६२००२।
- 9. खनिज अधिकारी, जिला सिहोर (म.प्र.)

10. संबंधित फाईल।

प्रभारी अधिकारी